



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

सं.निमु(मा.सं.)/प्रशा/359-01/2107

दिनांक/ Date: 12.07.2018

कार्यालयआदेश/OFFICE ORDER

विषय/Sub: कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन/Constitution of Internal Complaints Committee (ICC) under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013

कंपनी प्रत्येक महिला को उसकी मर्यादा तथा सम्मान एवं न्यायसंगत कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह परिवेश बेहतर करने अर्थात् अपनी महिला कर्मचारियों के विकास के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है तथा समान अवसर को प्रोत्साहित करती है। कंपनी किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को सहन नहीं करती है तथा अपनी महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

The Company is committed to provide a work environment that ensure that every women employee is treated with dignity and respect and afforded equitable. It is also committed to promote a work environment i.e. conducive to the growth of its women employees and encourages equality of opportunity. The Company will not tolerate any form of sexual harassment and is committed to take all necessary steps to ensure that its women employees are not subjected to any form of harassment.

2. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाता है।

In accordance with the provision as contained under Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Complaint Committee (ICC) is consisted of the following members, to deal with the complaints

जारी.....2...

of sexual harassment of women at workplace:

- (i) श्रीमती अनिला अग्रवाल, उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)- अध्यक्ष/ Ms. Anila Agarwal, Dy. Dy.Manager (F&A) -Chairperson
- (ii) श्रीमती नीता मिश्रा, उप प्रबंधक (सू.प्रौ.)- सदस्य/ Ms. Neeta Mishra, Dy. Manager (IT)- Member
- (iii) श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सहा. प्रबंधक (मा.सं.)-सदस्य/ Mr. Siddharth Srivastav, Asstt. Manager (HR)-Member
- (iv) सुश्री लीना प्रसाद, एनजीओ प्रतिनिधि- सदस्य/ Ms. Leena Prasad, NGO representative -Member

3. यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत आंतरिक शिकायत समिति को लिखित में अथवा ई-मेल से घटना के तीन माह के अंदर अथवा यदि ये घटनाएं निरंतर हो रही हैं तो अंतिम घटना की तिथि के तीन माह के अंदर भेजी जाए।

Any grievance on sexual harassment may be referred to the ICC by writing through a letter or email within three months from the date of incidents or if there are series of incidents, three months from the date of last incidents.

4. दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत समिति की रिपोर्ट निदेशक (मा.सं.) को प्रस्तुत की जाएगी/The Report of the Complaint Committee against erring officials shall be submitted to Director (HR).


(बी.जे. गुप्ता/B.J. Gupta)

अपरमहाप्रबंधक(मा.सं.)AGM(HR)

प्रति/To,

समिति के सभी सदस्य/All Committee Members

प्रतिलिपि/Copy to:

- (i) अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के वरिष्ठ कार्यपालक सचिव/Sr. ES to CMD
- (ii) निदेशक(तकनीकी) के व. कार्यपालक सहायक/निदेशक(मा.सं.) के कार्यपालक सहायक/निदेशक) वित्त(के सचिवीय सहायक/ मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यपालक सहायक/Sr. EA to Director (Tech.)/EA to Director (HR)/SA to Director (Fin.)/EA to CVO
- (iii) महाप्रबंधक-टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/GMs-Mints/Presses/PaperMill - अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशानुसार इकाई स्तरीय आईसीसी समिति का गठन किया जाए/With a request to constitute Unit Level ICC on above lines.
- (iv) अपर महाप्रबंधक/Addl. GMs
- (v) कंपनी सचिव/Company Secretary
- (vi) सूचना बोर्ड/Notice Board